प्रभावना में अन्लिश्वित आहर्या न्याय, स्वतंत्रता, समता अरि बंद्यत्व - एक द्यरे पर निर्भाट हैं। भारत में इन आहर्यों की प्राप्ति की सीमा का आलीचनात्मक मुल्यंकन करें।

Q.

भिद्ध हम एन ए पालखीवाला पालम भी की वक्तद्यों की आहार माने ती हम समझें भी प्रस्तावना संविद्यान का "परिचय पत्र "हें। की एम मुंभी भी भी अहतवना की शाजनीतिक कंडिंबी कहा थार अरे इसी अलाह अनेकों शाजनीतिकों भी इसी अनेकी नाम, अपनाम अयवा यरिभाषाएँ दीं।

वारत्व में थिर हम प्रस्तावना पहें और समर्स ती हम भी यही पाएंजी की र्य संविद्यान की संक्षितः वर्णित करती हैं। संविद्यान की उदेश्य, उसमें अल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, सम्रता आदि रावदी एंव शासन प्रजाली की स्वरुपी तथा संविद्यान की आस्मिपित करने की तिथि का उल्लेख करती है। इसे हम एक प्रकार से "मिन संविद्यान" भी कह सकते हैं।

अत यदि ध्रम्तावना की मूल शब्दी की एक इसरे पर निर्भरता की ही ती काजी हद तक थी पाया जा ध्रकता है कि सभी शब्द अंशत! अथवा पूर्णत! एक इसरे पर निर्भर हैं। उदाहरण — न्याय की विना स्वतंत्रता अर्थहीन है।

न्याय का जीई श्यान ही म ही ?

"उन्नु -19(1)(क)" हमें अभिव्यम्नि एक वाक् की स्वतंत्रता प्रदान लटता है, परंतु थिंद थहों न्याय का आभाव ही ती लोग एक ध्यह विरुद्ध वावयीं का प्रयोग प्रारंभ कर देंगे और व्यवस्था ही अस्त्र व्यस्त ही जाएगी। किंतु जा भारत में इन आदर्जी की प्राप्ति की कात आती हैं. तो हम की पल ठहरते हैं और सीवर्त हैं. क्या भी अधिकार , क्या की स्वतंत्रता , समानता हमें प्राप्त हैं ? कमी अपर हों एवं कभी न की रूप में प्रकर होता है।

हमें प्रहान की गई स्वतंत्रताओं में - "भारत में अवाध रूप से संघरण (अनु-(19)(1)(स्प)) मी एक स्वतंत्रता है, एंव ति : संदेह हमें भे स्वतंत्रता प्रहान भी की गई है, किंतु किर वहीं आए दिनों माँख बिचिंग आदि जीसे समावार सामने आते हैं और न्यायालयों में एक नई "कैस फाडल" खुल जाती है, जी न्यायालयों का वीदन मान्न बढ़ाती है।

सरकार एवं संविद्यान ने हमें वाक एवं अध्ययित की स्वतंत्रता की हैं, परंतु आज भी लींग न्थायावय में गवाही देते हुए, पुलिस की अपना वयान देते हुए ध्वरात हैं. भयभीत हीते हैं, जो कहीं न कहीं स्वतंत्रता एवं न्याय के आदर्शों की प्राप्त करने में हमारी असफलता दर्शाती हैं। किंतु इसका एक और पहलु हैं, जिससे हम मुहें नहीं मीड़ सकतें; और वो हैं-"अन्याय के विरुद्ध हमारी आवाज।" भारत की जनता अब धीर-धीर अपने विरुद्ध अन्यायों की पहचानने में ससम हैं, और उसके रिवलाफ अपनी आवाज अलंह करने में भी ससम हैं, और उसके रिवलाफ अपनी तरीं की अपनी भावना भी समम हैं, घरना प्रदर्शन एवं न्यायपूर्व तरीं की अपनी भावना भी स्थवन कर सेते हैं तींग, तो अभी की परिरिचातियों की ध्यान में रख कर भे कहा जा सकता है कि हम अंशतः स्वात हैं एंवं प्रयासरत हैं।

का है. थिए हम एक स्वर्ध की समान नहीं समझेंगे भी हम वंचुत्व कैसे थफ़ाएंगे ?

भारत की जीता "अर्थात "हम अभी"। प्राध्नण थी लेकर खाड़ तक एवं धनवान थी लेकर निर्धण तक। प्रस्तावना भी आर्थ्य हीते ही हम भारतीयों की "हम" की सूत्र में वांच दिया और वंपुत्व की शुरुआत की और जब हम आर्थ अपने शंविद्यान की और विद्रत ही हैं तो हमें मीलिक अद्याकारों के रूप में भी अमानता प्रदान की गई हैं और नि? शंदेह करम - करम पर भारत की वेंसा अनाने का ही प्रयास किया गया है, जैसा कि शंविद्यान निर्माताओं का अपना था।

कितं यहां प्रका थे हैं कि कथा हम इस प्रभास में सकत हैं ? उन्नर किर वही कहा हां और कहा मा । औनिपिक में मीडल लाती भारतीय महिनाओं में लिंडा समानता का प्रमाण तो बहुत अन्दे भी दिया किंतु आज भी भारत के कई राज्यों में कन्या शुक हन्या एक अंबीर समस्या हैं। समानता का थे अलग ही बिरीद्याभास हैं , किंतु हम यह भी नहीं कह सकत हैं कि हम समानता और बहुत्व बढ़ारी में असकत हही।

भीर हमारे लिए कितना का पर्याप्त है "इन प्रक्रनी जाप्त किया एक तरफ रखकर इसका सकारात्मक पहल देखें में हम पार्टी कि भारत में समानता भी है और बंदात्व भी . हम स्वतंत्र भी हैं, और हमें न्याय मिला जहर हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शी की कह हद तक हमने प्राप्त कर लिया एव कह में "हम प्रयासरत हैं।"